न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00079

1. शिव प्रसाद आत्मज जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कलावती बाई पत्नी शिवप्रसाद ।
   1/2. नरोत्तम पुत्र शिव प्रसाद ।
   1/3. विष्णु प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद ।
   1/4. पूर्णाशंकर पुत्र शिव प्रसाद ।
   1/5. सुनिता पुत्री शिवप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनी बाई पत्नी बाबूलाल जी पुत्री प्रभूलाल जाति ब्राह्मण जरिये मुख्तार आम देवी शंकर आत्मज बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.12.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92(ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 527 की 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादिनी मोहनी बाई के संयुक्त खाते की है । संयुक्त खातेदार बजरंग लाल के लाऔलाद फौते होने के बाद से तन्हा खातेदार वादी काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त आराजी से सम्बन्धित कार्य व कार्यवाहियॉ करने हेतु अपनी ओर से अपने पुत्र देवीशंकर को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया

हुआ है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 722 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 723 रकबा 1.04 हैक्टर 'कायम किये गये हैं । जगन्नाथ जी बाल्यावस्था से ही मांगरोल मन्ना जी के यहॉ गोद चले गये थे और वही उनकी शादी विवाह हुआ । जगन्नाथ जी सन् 1945 के पहले से ही गोद चले गये थे और उनका प्रभूलाल जी की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक नहीं था और प्रभूलाल का भाई बजरंग लाल की भूमि पर भी किसी प्रकार का हक नहीं था क्योंकि जगन्नाथ की वल्दियत जगन्नाथ पुत्र मन्ना हो गई थी इसलिए मन्ना जी की समस्त आराजी व सम्पत्ति के मालिक बन गये थे । इसलिए प्रभूलाल व बजरंग लाल की आराजी में उनका कोई हक नहीं था । वादग्रस्त आराजी में प्रभूलाल व बजरंग लाल 1/2 – 1/2 हिस्से के सहखातेदार दर्ज थे । प्रभूलाल की मृत्यु के बाद उनकी बेवा कल्याणी बेवा एवं बजरंग लाल 1/2 – 1/2 दर्ज हो रहे हैं । कल्याणी की मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र पुत्री वादिनी एवं बजरंग लाल 1/2 – 1/2 दर्ज रहे हैं । चूँकि बजरंग लाल लाऔलाद फौत हुआ है और उसने अपने जीवनकाल में किसी को गोद नहीं लिया इसलिए मोहनी बाई ही उनकी आराजी की हकदार है । बजरंग लाल ने प्रतिवादी कम 01 को कभी भी गोद नहीं लिया था और न ही कोई वसीयत आलेखित की है । बजरंग लाल की भूमि पर शिव प्रसाद ने अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवाया है । प्रतिवादी कम 01 न तो बजरंग लाल का पुत्र है और न ही दत्तक पुत्र है । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी की हकदार वादिनी है । वादिनी को अधिकार है कि वह सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी की स्वयं को खातेदार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 01 का नाम हटाया जाकर वादिनी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित करते हुए बतौर खातेदार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी कम 01 राजस्व रिकॉर्ड में गलत तौर पर नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरित एवं बेचान आदि नहीं करें और न ही उक्त भूमि पर वादिनी को काश्त करने से रोके । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.02.2020के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन दिनांक 26.10.2017 कभी भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही सम्मन पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं । रेस्पोडेन्ट द्वारा तामील कुनिन्दा से मिली भगत कर अपीलान्ट की त्रुटिपूर्ण तामील करवायी गई है जो गलत है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थी 'को रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इजराय प्रस्तुत करने व

इजराय की पालना में हल्का पटवारी द्वारा कार्यवाही करने की दिनांक 03.06.2020 को सूचना देने पर अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क कर नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 08.06.2020 को नकल प्राप्त की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनिांक 04.06.2020 को कोरोना महामारी होन की वजह से लॉक डाउन होने से पालना स्थगित रखेन जाने का निर्देश दिया । तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से अपील अवधि मध्य पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के एकमात्र खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है । सम्मन पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा तामील कुनिन्दा से मिली भगत करके तामील करवायी गई है । न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा में जगन्नाथ बनाम मोहनी बाई के नाम से दावा घोषणा का प्रस्तुत किया गया था । इस दावे में दिनांक 04.12.85 से मोहनी बाई एवं जगन्नाथ को 1/4 – 1/4 एवं शेष 1/2 बजरंग लाल, गोपाल को खातेदार घोषित किया गया । इस डिक्री की अपील मोहनी बाई के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की गई जो खारिज की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय की अप्रसन्नता से मोहनीबाई ने राजस्व मण्डल में अपील पेश की है जो दिनांक 15.06.97 को खारिज हो गई । तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में मोहनी बाई ने रिट याचिका पेश की है जो खारिज हो गयी । इस प्रकार सहायक कलक्टर, कोटा का निर्णय अंतिम रूप से बहाल रखा गया। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 01.02.2006 को अंतिम डिक्री पारित की गई उसके खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील पेश की गई जो दिनांक 05.10.2006 को इस निर्देश के साथ खारिज की गई कि मोहनी बाई चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में विकल्प प्रस्तुत करे । मोहनी बाई के द्वारा कोई विकल्प पेश नहीं किया गया और अंतिम डिक्री बहाल रही । मोहनी बाई के द्वारा पुनः माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई जहॉ से रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दे रखा है जो कि अभी प्रभावी है । इन तथ्यों को छुपाकर मोहनीबाई ने एकपक्षीय डिक्री पारित करवा ली है जो रेसजूडीकेटा से बाधित है । पत्रावली को लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में सहमति नहीं बनने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये गये । दिनांक 29.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 02 की तलबी के आदेश प्रदान किये गये । दिनांक 03.12.2019 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट के पक्ष में खातेदार बजरंगा के द्वारा दिनांक 09.06.1993 के द्वारा एक वसीयत का निष्पादन किया गया है जिसके आधार पर इंतकाल अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक हुआ है । रेस्पोडेन्ट का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2010 पेज 01 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से सम्मन की तामील हुई है । पत्रावली पर बाद तामील उनके सम्मन संलग्न हैं जिसमें

व्यक्तिगण रूप से उनको तामील की गई है । सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सम्मन की तामील हो जाने के कारण वो इसके बाबत् आपत्ति करने का अधिकार नहीं रखते हैं । मोहनी बाई के द्वारा हक घोषणा का दावा पेश किया गया था जिसको बखूबी साबित किया गया है । बजरंग लाल की वसीयत की बात अपीलान्ट करते हैं परन्तु उनके द्वारा वसीयत को प्रमाणित नहीं करवाया गया है और वसीयत के जो गवाह हैं वो हितबद्ध पक्षकार हैं । इस कारण वसीयत से अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः, अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के खिलाफ हक घोषणा का दावा पेश किया है जिसमें अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 03.12.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई । सम्मन का अवलोकन किया गया । सम्मन के पृष्ठभाग पर शिवप्रसाद के हस्ताक्षर होना तामिल कुनिन्दा ने अंकित किया है परन्तु इस रिपोर्ट को तहसीलदार के द्वारा पृष्ठांकित नहीं किया गया है जो कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादिनी के बयान नहीं करवाये गये हैं और न ही दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है जो कि सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । पत्रावली पर कुछ दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ भी संलग्न हैं जो कि प्रमाणित प्रति नहीं हैं । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है उसमें अपीलान्ट खातेदार दर्ज हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं । अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरबीजे 2010 पेज 01 यहॉ चस्पा होती हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा